भारत सरकार
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 234
बुधवार, 24 जुलाई, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

प्रभावी 'हीट एक्शन प्लान'

†234. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या पृथ्वी विज्ञान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश में विशेषकर घनी आबादी वाले और निम्न आय वाले क्षेत्रों में लू की बार-बार और अधिक तीव्रता से होने वाली वृद्धि को देखते हुए प्रभावी 'हीट एक्शन प्लान' (एचएपीएस) को अद्यतन और कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है;

(ख) वर्तमान में एचएपी के अंतर्गत कितने जिलों को शामिल किया गया है, विगत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के क्या परिणाम रहे और रात के समय लू के प्रभाव को कम करने के लिए शुरू की गई नई पहलों का ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान गर्मी से संबंधित बीमारियों और मृत्यु दर के आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) लू के लिए वर्तमान प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की कवरेज, सटीकता और प्रभावशीलता पर जानकारी का ब्यौरा क्या है और वर्तमान वित्त वर्ष में इन पहलों के लिए आबंटित बजट के ब्यौरे सहित इन्हें बेहतर बनाने की क्या योजनाएं है?

उत्तर
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी तथा पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क)-(ख) भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण तथा स्थानीय स्वास्थ्य विभागों के साथ मिलाकर 23 राज्यों में हीट एक्शन प्लान (HAPs) आरंभ किया है, जो लू संबंधी पूर्व चेतावनी जारी करता है, और ऐसी स्थितियों के दौरान की जाने वाली कार्रवाईयों संबंधी परामर्श देता है। लू बुलेटिन प्रतिदिन भारतीय मानक समय के अनुसार सायं 1600 बजे जारी किया जाता है, जिसमें अगले 5 दिनों के दौरान लू संबंधी पूर्वानुमान एवं चेतावनियां जारी की जाती हैं। किसी क्षेत्र विशेष में अपेक्षित लू के प्रभाव को कलर कोड (हरा, पीला, नारंगी, तथा लाल) में वर्णित किया जाता है, तथा विशिष्ट प्रभाव वर्णित किया जाता है। मौसम केंद्र / प्रादेशिक मौसम केंद्र द्वारा जिला स्तरों पर बुलेटिन जारी किए जाते हैं। लू चेतावनियों / सूचना को प्रिंट तथा सोशल मीडिया के माध्यम से भी प्रभावी तरीके से प्रसारित किया जाता है।

(ग) राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) , गृह मंत्रालय द्वारा प्रदान किए गए मृत्यु संबंधी आंकड़े अनुलग्नक-1 में दिए गए हैं।

(घ) भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने निगरानी और पूर्व चेतावनी प्रणाली में सुधार करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं, जिससे लू समेत प्रचंड मौसमी घटनाओं के दौरान जान-माल की हानि को कम करने में सहायता मिली है। इनमें शामिल हैं:

i. तापमान और लू की स्थिति का ऋतुनिष्ठ और मासिक पूर्वानुमान जारी करना।
ii. भारत में जिलावार लू सुभेद्यशीलता एटलस, जिससे राज्य सरकार प्राधिकरणों एवं आपदा प्रबंधन एजेंसियां को योजना बनाने तथा उचित कार्रवाई करने में सहायता मिल सके।
iii. भारत में गर्म मौसम से उत्पन्न होने वाले जोखिमों का विश्लेषण, जिसमें दैनिक तापमान, पवन तथा आर्द्रता की स्थितियां शामिल हैं।
iv. पूरे देश के लिए लू सूचकांक पूर्वानुमान और जिला स्तर पर लू की स्थिति का प्रभाव-आधारित पूर्वानुमान।
v. वेब-जीआईएस प्लेटफॉर्म पर रियल टाइम लू सूचना तथा चेतावनियां।
vi. राष्ट्रीय आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण (NDMA) द्वारा राज्य सरकारों के साथ सहयोग से लू स्थितियों की अधिक संभावना वाले 23 राज्यों में संयुक्त रूप से हीट एक्शन प्लान (HAPs) क्रियान्वित किए गए।
vii. सही समय पर सार्वजनिक पहुंच हेतु प्रसार प्रणालियों के आधुनिक माध्यमों का प्रयोग करके चेतावनी प्रसारण सेवाओं मे सुधार।

केंद्रीय क्षेत्र की योजना वायुमण्डल एवं जलवायु अनुसंधान-मॉडलिंग प्रेक्षण प्रणालियां एवं सेवाएं (ACROSS) आईएमडी घटक के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु आबंटित किया गया बजट (बजट अनुमान घटक) 233.27 करोड़ है।

अनुलग्नक -1

वर्ष 2020-2022 के दौरान लू / सन स्ट्रोक के कारण होने वाली मौतों का राज्य / संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण:

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	2020	2021	2022
1	आंध्र प्रदेश	50	22	47
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0
3	असम	0	0	1
4	बिहार	53	57	78
5	छत्तीसगढ़	3	2	11
6	गोवा	0	0	0
7	गुजरात	12	8	5
8	हरियाणा	23	14	27
9	हिमाचल प्रदेश	0	1	0
10	झारखंड	23	33	47
11	कर्नाटक	1	0	2
12	केरल	0	0	0
13	मध्य प्रदेश	7	2	27
14	महाराष्ट्र	56	37	90
15	मणिपुर	0	0	0
16	मेघालय	0	0	0
17	मिजोरम	0	0	0
18	नगालैंड	0	0	0
19	ओडिशा	13	15	38
20	पंजाब	110	91	130
21	राजस्थान	23	1	12
22	सिक्किम	0	0	0
23	तमिलनाडु	0	2	2
24	तेलंगाना #	98	43	62
25	त्रिपुरा	2	0	2
26	उत्तर प्रदेश	50	35	130
27	उत्तराखण्ड	0	0	0
28	पश्चिम बंगाल	6	11	18
	कुल राज्य	**530**	**374**	**729**
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0
30	चंडीगढ़	0	0	0
31	दादरा-नगर हवेली तथा दमन एवं दीव @ +	0	0	0
32	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	0	0	1
33	जम्मू एवं कश्मीर @ *	0	0	0
34	लद्दाख @	0	0	0
35	लक्षद्वीप	0	0	0
36	पुडुचेरी	0	0	0
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**0**	**0**	**1**
	कुल (समस्त भारत)	**530**	**374**	**730**

राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान किए गए आंकड़ों के अनुसार

'+' वर्ष 2013-2019 के दौरान तत्कालीन दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र के संयुक्त आंकड़े

'*' वर्ष 2013-2019 के दौरान लद्दाख समेत भूतपूर्व जम्मू एवं कश्मीर राज्य के आंकड़े

'#' 2014 के दौरान नव सृजित राज्य के आंकड़े

'@' 2020 के दौरान नव सृजित संघ राज्य क्षेत्र के आंकड़े

स्रोत: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी), गृह मंत्रालय

****